

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 465]
 नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940

No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 नवम्बर, 2018

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/151/2018.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनिय़म, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है—

1) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता:

- 1. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के नाम से जाने जाएँगे ।
- 2. ये विनियम 1 जनवरी 2019 से प्रवृत्त होंगे।
- 3. ये विनियम अधिनियम की धारा 2 (9) के अंतर्गत यथापरिभाषित बीमाकर्ताओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कार्यालय (आईआईओ) और अधिनियम की धारा 118 (सी) के अंतर्गत यथापरिभाषित छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

2) परिभाषाएँ:

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

1. 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

7123 GI/2018 (1)

- 2. 'वैकल्पिक जोखिम अंतरण', जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `एआरटी' कहलाएँगे, (जो जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय में `वित्तीय पुनर्बीमा' भी कहलाएँगे) से गैर-परंपरागत संरचित पुनर्बीमा समाधान अभिप्रेत हैं, जो किसी बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं अथवा प्रोफ़ाइल के अनुकूल बनाये गये हों;
- 3. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- 4. इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए 'बोर्ड' से अभिप्रेत है-
 - अ. (क) आईआईओ को छोड़कर प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय अंकित करनेवाले भारतीय बीमाकर्ताओं, (ख) भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और (ग) लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियों – का निदेशक बोर्ड;
 - आ. अपनी आवेदक कंपनियों के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् प्राधिकृत, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालयों (आईआईआईओ) की कार्यकारिणी समिति;
 - इ. छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं के बीमा प्रभाग अथवा विभाग का प्रमुख;
- 5. अध्यर्पक (सेडैंट) से वह भारतीय बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय अंकित करता है और संविदागत तौर पर जोखिम के एक अंश का अंतरण करता है (अध्यर्पण करता है);
- 6. `अध्यर्पण' (सेशन) से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जो अध्यर्पक द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को अंतरित किया जाता है;
- 7. `कवर नोट' पुनर्बीमा संविदा की शर्तो का विवरण देते हुए पुनर्बीमा व्यवसाय अंकित करनेवाले भारतीय बीमाकर्ता अथवा सीबीआर अथवा पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत पुनर्बीमा दलाल द्वारा जारी किया गया लिखित दस्तावेज है;
- 8. `सीमापार पुनर्बीमाकर्ता', जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `सीबीआर' कहलाएगा, से लॉयड्स के समूहों सिहत विदेशी पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जिसके व्यवसाय का स्थान भारत के बाहर स्थापित है और जिसका पर्यवेक्षण उसके स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा किया जाता है। सीमापार पुनर्बीमाकर्ता में शामिल है:
 - अ. एफआरबी की मूल अथवा समूह कंपनियाँ;
 - आ.आईआईओ की मूल अथवा समूह कंपनियाँ।
- 9. 'छूट-प्राप्त बीमाकर्ता' से अधिनियम की धारा 118(सी) के अधीन बीमा व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है:
- 10. `विकल्पी पुनर्बीमा' (फैकल्टेटिव रीइन्थ्योरेंस) से एक एकल जोखिम अथवा जोखिमों का परिभाषित पैकेज अभिप्रेत है, जहाँ न तो अध्यर्पक ये जोखिम पुनर्बीमाकर्ता को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और न ही पुनर्बीमाकर्ता पुनर्बीमा संरक्षण देने के लिए बाध्य है;
- 11. `वित्तीय वर्ष' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (41) के अंतर्गत यथापरिभाषित अवधि अभिप्रेत है;
- 12. `विदेशी पुनर्बीमार्कर्ता की शाखा' जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `एफआरबी' कहलाएगी, से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी की शाखा अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमार्क्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के अधीन अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;

- 13. `फ्रंटिंग' से जोखिम का अंतरण करने की वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें भारतीय बीमाकर्ता किसी पुनर्बीमाकर्ता अथवा वापसीकर्ता (रेट्रोसेशनेयर) को अधिकांश अथवा समस्त अभिगृहीत (अस्यूम्ड) जोखिम का अध्यर्पण अथवा वापसी करता है;
- 14. `भारतीय बीमाकर्ता' से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत यथापरिभाषित वह `बीमाकर्ता' अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, तथा इसमें छूट-प्राप्त बीमाकर्ता और आईआईओ भी शामिल हैं;
- 15. `बीमा समूह' से बीमा अथवा पुनर्बीमा का कोई संयुक्त जोखिम-अंकन परिचालन अभिप्रेत है जिसमें सहभागी भारतीय बीमाकर्ता समस्त अंकित व्यवसाय में एक पूर्वनिर्धारित अंश ग्रहण करते हैं;
- 16. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, `बीमा खंड' से निम्नलिखित अभिप्रेत और सम्मिलित हैं-
 - **क.** फायर (तेल और ऊर्जा को छोड़कर);
 - ख. मरीन हल;
 - **ग.** मरीन कार्गी;
 - **घ.** इंजीनियरिंग;
 - **ड.** विमाननः
 - **च.** मोटर;
 - **छ.** स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा सिहत), जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पॉलिसियों को छोड़कर अन्य:
 - **ज.** फ़सल:
 - **झ.** व्यापारिक उधार;
 - **ज.** तेल और ऊर्जा;
 - ट. देयताः
 - ठ. विविध:
 - **ड.** जीवन (जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों सहित);
 - **ढ.** कोई अन्य खंड (विविध खंड के अंतर्गत) जो विविध वर्ग के सकल अंकित प्रीमियम के दस प्रतिशत से अधिक अंशदान करता हो;
 - **ण.** समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य खंड;
- 17. `अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कार्यालय' जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षरों से `आईआईओ' कहलाएगा, से भारत में अथवा भारत के बाहर अधिवास करनेवाले बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय अभिप्रेत है, जिसे बीमा व्यवसाय अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय अथवा दोनों करने के लिए आईएफएससी-एसईजेड में अपना कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;
- **18.** `पुनर्बीमा संविदा' एक वाणिज्यिक करार है तथा सभी पक्षकारों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी है जो एक पुनर्बीमा पर्ची अथवा कवर नोट अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज द्वारा प्रमाणित हो;

- 19. 'पुनर्बीमा पर्ची' एक दस्तावेज है जो पुनर्बीमा के लिए प्रस्तावित जोखिम एवं शर्तों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराता है:
- 20. 'प्रतिधारण' से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जो भारतीय बीमाकर्ता अपने स्वयं के खाते के लिए ग्रहण करता है;
- 21. 'वापसी' (रेट्रोसेशन) से ऐसा पुनर्बीमा लेनदेन अभिप्रेत है जिसके द्वारा ग्रहण किये गये पुनर्बीमित जोखिम का एक अंश आगे किसी अन्य भारतीय बीमाकर्ता अथवा सीबीआर को अध्यर्पित किया जाता है;
- 22. 'समझौता' (ट्रीटी) से अध्यर्पक और पुनर्बीमाकर्ता के बीच अथवा पुनर्बीमाकर्ता और वापसीकर्ता के बीच सामान्यतः एक वर्ष की एक पुनर्बीमा संविदा अभिप्रेत है, जो व्यवसाय के परिभाषित वर्ग (वर्गों) अथवा खंड (खंडों) के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीकी विवरण और वित्तीय शर्तें निर्धारित करती है;
- 23. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31), उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3) पुनर्बीमा कार्यक्रम

- 1. <u>उद्देश्य</u>
 - प्रत्येक भारतीय बींमाकर्ता के पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगाः
 - अ. जोखिमों के उचित और पर्याप्त विविधीकरण के अधीन देश के अंदर प्रतिधारण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना;
 - आ. पर्याप्त तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता को विकसित करना;
 - **इ.** एक उचित लागत पर पॉलिसीधारकों और अध्यर्पकों (वापसीकर्ताओं) के हितों के संरक्षण के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा रक्षा (कवरेज) सुनिश्चित करना;
 - **ई.** व्यवसाय के संचालन को सरल बनाना।

2. प्रतिधारण नीति

- अ. प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता
 - क. अपनी वित्तीय क्षमता, जोखिमों की गुणवत्ता और व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारण बनाये रखेगा;
 - ख. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक उपयुक्त बीमा खंड-वार प्रतिधारण नीति बनाएगा;
 - ग. यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त पुनर्बीमा व्यवस्था फ्रंटिंग नहीं है।
- आ. तथापि, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता निम्नलिखित का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा-
 - क. विशुद्ध संरक्षण जीवन बीमा व्यवसाय संविभाग के अंतर्गत जोखिम पर राशि का 25% तथा

ख. विशुद्ध संरक्षण जीवन बीमा व्यवसाय संविभाग को छोड़कर अन्य के अंतर्गत जोखिम पर राशि का 50%.

स्पष्टीकरणः इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से पहले विद्यमान व्यवसाय के संविभाग का वर्तमान समझौतों के द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा।

- इ. प्रत्येक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अपने भारतीय व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।
- ई. प्राधिकरण भारतीय बीमाकर्ता से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपनी प्रतिधारण नीति को उचित सिद्ध करे तथा उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे गये रूप में निर्देश दे सकता है।

3. पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ

- अ. प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता-
 - क. अपना वार्षिक पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से शुरू करेगा;
 - ख. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन पहले अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्रतिधारण नीति के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा;
 - ग. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगाः
 - i. उपर्युक्त 3(3)(अ)(ख) के अधीन प्रस्तुत कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन हों, तो उन्हें सम्मिलित करते हुए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक घोषणा कि संस्था ने फाइल किये गये कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया है;
 - ii. प्रत्येक बीमा खंड के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक स्थाननों का पुनर्बीमाकर्ता-वार विवरण;
 - घ. कोई नई पुनर्बीमा व्यवस्था अथवा पुनर्बीमा व्यवस्था में कोई संशोधन (उपर्युक्त 3(3)(अ)(ग) के अधीन बनाया गया अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद) संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरा विवरण, ऐसी व्यवस्था के लिए कारण देते हुए, बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के 15 दिन के अंदर बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रति सहित प्राधिकरण के पास फाइल करेगा।
- आ. बोर्ड पुनर्बीमा कार्यक्रम और प्रतिधारण नीति बनाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और उपयुक्त हैं :
 - क. अपेक्षित पुनर्बीमा संरक्षण का व्यवसाय मिश्रण, समग्र जोखिम वहन क्षमता, प्रकार और सीमा;
 - ख. जोखिम संकेन्द्रण के स्तर एवं प्रतिधारण के स्तर;
 - ग. पुनर्बीमा की व्यवस्था।
- इ. भारतीय बीमाकर्ताओं के पुनर्बीमा कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगेः
 - क. प्रतिधारण सीमाओं के निर्धारण के लिए सुविचारित बीमा खंड-वार मानदंड;

- ख. चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिधारण सीमाओं की तुलना में प्रस्तावित वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारण सीमाओं का बीमा खंड-वार विवरण तथा यदि कोई विभिन्नता हो, तो उसके लिए कारण;
- ग. चालू वित्तीय वर्ष के लिए (अनुमानित) तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल प्रतिधारण अनुपात का बीमा खंड-वार विवरण;
- घ. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक सकल अकित प्रीमियम आय, चालू वित्तीय वर्ष के लिए (अनुमानित) तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमानित सकल अंकित प्रीमियम आय का बीमा खंड-वार विवरण;
- ङ. पुनर्बीमा कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक बीमा खंड के लिए आनुपातिक व्यवस्थाओं के विवरण के साथ (समझौता क्षमता, प्रतिधारण सीमाओं, अनुमानित प्रीमियम, पुनर्बीमा कमीशन संरचना, ईवेंट सीमाएँ आदि सहित) तथा प्रत्येक बीमा खंड के लिए गैर-आनुपातिक व्यवस्थाएँ (अनुमानित सकल प्रीमियम आय, बीमारक्षा सीमाएँ, कटौतीयोग्य, हानि प्रीमियम का आधिक्य, प्रावधानो की बहाली आदि सहित);
- च. चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित लागत सिहत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमानित लागतों और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वास्तविक लागतों को दर्शानेवाले विवरण के साथ सकल अंकित प्रीमियम, आनुपातिक व्यवस्थाओं पर अध्यर्पित प्रीमियम तथा गैर-आनुपातिक व्यवस्थाओं पर अध्यर्पित प्रीमियम तथा गैर-आनुपातिक व्यवस्थाओं पर अध्यर्पित प्रीमियम का विवरण देते हुए पुनर्वीमा लागत (सकल अंकित प्रीमियम की मात्रा एवं प्रतिशत के तौर पर) का बीमा खंड-वार विवरण;
- छ. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण देशी और विदेशी व्यवसाय के लिए अलग-अलग;
- ज. प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करनेवाले अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ अंतर-कंपनी पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों, का विवरण।
- ई. उपर्युक्त 3(3)(इ) पर दर्शाई गई अपेक्षाओं के अतिरिक्त, पुनर्बीमा व्यवसाय अंकित करनेवाला प्रत्येक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, एफआरबी और आईआईओ बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति फाइल करेगा। जोखिम-अंकन नीति में बाद में कोई भी परिवर्तन, बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जाएगा तथा बोर्ड के अनुमोदन के बाद 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा।

4. आपाती जोखिम संरक्षण

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ताः

- अ. यह सुनिश्चित करेगा कि आपाती संचयनों के संबंध में उसकी पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं;
- आ. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक संकट के लिए रिटर्न अवधि अनुमानों के साथ जिनपर आपात संरक्षण की मात्रा खरीदी गई हो, संकट मॉडलिंग रिपोर्ट और आधार को अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित करवाएगा:
- इ. पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ रिपोर्ट की रूपरेखा फाइल करेगा।

5. अभिलेखों का अनुरक्षण

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता प्रत्येक पुनर्बीमा संविदा की सॉफ्ट प्रतियाँ, पुनर्बीमाकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग सहित उनकी सूची, आनुपातिक और गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्था में उनके अंश प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त दस्तावेज संबंधित वर्तमान विनियमों में विनिर्दिष्ट अविध के लिए अनुरक्षित किये जाएँगे तथा निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाएँगे।

4) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर):

- कोई भी भारतीय बीमाकर्ता अपना पुनर्बीमा व्यवसाय किसी सीबीआर के पास तब तक नहीं रखेगा, जब तक वह निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करेगाः-
 - अ. सीबीआर अपने स्वदेश में एक बीमा अथवा पुनर्बीमा संस्था है, जो अपने स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा
 तत्काल पूर्ववर्ती तीन निरंतर वर्षों के दौरान पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हो;
 - आ. सीबीआर के पास तत्काल पूर्ववर्ती तीन निरंतर वर्षों के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स की कम से कम बीबीबी रेटिंग अथवा उसकी समकक्ष रेटिंग हो;
 - इ. सीबीआर के स्वदेश ने भारत के साथ दोहरा कराधान परिवर्जन करार किया हो;
 - ई. सीबीआर के पास तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम शोधक्षमता मार्जिन अथवा पूँजी पर्याप्तता हो;
 - उ. सीबीआर का पिछला दावा निपटान अनुभव संतोषजनक पाया गया हो;
 - ऊ. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य अपेक्षाएँ।
- 2. ऊपर बताये गये पात्रता मानदंडों को पूरा न करनेवाले सीबीआर के पास पुनर्बीमा स्थाननों के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- 3. प्राधिकरण समय-समय पर जारी िकये जानेवाले दिशानिर्देशों के माध्यम से इन मानदंडों में छूटों के लिए प्रतिमान एवं सीबीआर सूचना फाइल करने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं के साथ विनियम 6 के अधीन सीबीआर को अध्यर्पणों की सीमाएँ निर्धारित कर सकता है।

5) पुनर्बीमा स्थानानों के लिए प्रक्रियाएँ:

- अध्यर्पण के लिए सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करनाः
 प्रत्येक अध्यर्पक, निम्नलिखित के अधीन देशी जोखिमों के अपने पुनर्बीमा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगाः
 - अ. अध्यर्पक सभी भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से, जो तत्काल पूर्ववर्ती तीन निरंतर वर्षों के दौरान पुनर्बीमा व्यवसाय (बाध्यकारी अध्यर्पण से उत्पन्न होनेवाले व्यवसाय को छोड़कर अन्य) करते रहे हों तथा कम से कम चार एफआरबी से शर्तों की अपेक्षा करेंगे।
 - आ. कोई भी अध्यर्पक निम्नलिखित से शर्तों की अपेक्षा नहीं करेगाः
 - क. स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स से प्राप्त रेटिंग ए- से कम या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त उसके समकक्ष क्रेडिट रेटिंग से युक्त आईआईओ अथवा
 - ख. स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स से प्राप्त रेटिंग ए- से कम या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त उसके समकक्ष क्रेडिट रेटिंग से युक्त सीबीआर।

- इ. कोई भी अध्यर्पक ऐसे किसी भारतीय बीमाकर्ता से शर्तों की अपेक्षा नहीं करेगा जो पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है।
- ई. अध्यर्पक इस बात का विचार किये बिना कि शर्तें सीधे प्राप्त की गई हैं अथवा पुनर्बीमा दलाल के माध्यम से, इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

2. सहभागिता के लिए प्रस्तावः

- अ. प्रत्येक अध्यर्पक निम्नलिखित अधिमान के क्रम में सहभागिता के लिए प्राप्त सर्वोत्तम शर्तों का प्रस्ताव करेगाः
 - क. भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं को, जो तत्काल पूर्ववर्ती निरंतर वित्तीय वर्षों के दौरान पुनर्बीमा व्यवसाय (बाध्यकारी अध्यर्पण से उत्पन्न होनेवाले व्यवसाय को छोड़कर अन्य) कर रहे हों;
 - ख. अन्य भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और एफआरबी को;
 - ग. आईआईओ को विनियम 5(1)(आ)(क) के अधीन विद्यमान रूप में जिसमें 10% से अन्यून क्षमता से युक्त सर्वोत्तम और अग्रणी शर्तें दी गई हैं;
 - घ. सीबीआर को विनियम 5(1)(आ)(ख) के अधीन विद्यमान रूप में जिसमें 10% से अन्यून क्षमता से युक्त सर्वोत्तम और अग्रणी शर्तें दी गई हैं;
 - ङ. अन्य आईआईआईओ को;
 - च. अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं (केवल विकल्पी) और सीबीआर को।

स्पष्टीकरणः विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा संरक्षण को छोड़कर कोई भी अध्यर्पक ऐसे किसी भारतीय बीमाकर्ता को सहभागिता के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा, जो एकमात्र पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा, इस प्रकार के भारतीय बीमाकर्ता को किसी पुनर्बीमा संरक्षण के संबंध में नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।

- आ. उपर्युक्त विनियम 5(2)(अ) का अनुपालन करने के अधीन, कोई भी अध्यर्पक एफआरबी के माध्यम को छोड़कर ऐसे सीबीआर को, जो एफआरबी की आवेदक कंपनियाँ हैं, सहभागिता के लिए तब तक प्रस्ताव नहीं करेगा जब तक किः
 - क. संपत्ति बीमा, माल के नुकसान और व्यावसायिक व्यवधान के लिए एक स्थान पर संयुक्त रूप से कुल बीमित राशि दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक न हो; अथवा
 - ख. देयता कवर के लिए कुल बीमित राशि प्रति घटना एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक न हो; अथवा
 - ग. सहभागिता के लिए प्रस्ताव विमानन, तेल और अपस्ट्रीम ऊर्जा, मरीन हल जोखिम के लिए न हो; अथवा
 - घ. उपर्युक्त हेतु अपवादों के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता हो।
- इ. इस बात का विचार किये बिना कि सहभागिता के लिए प्रस्ताव निम्नानुसार किया गया है अथवा नहीं, इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए अध्यर्पक उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा-
 - क. प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुनर्बीमा दलालों के माध्यम से,
 - ख. पुनर्बीमा दलालों द्वारा व्यवस्थित पुनर्बीमा क्षमता की सुविधाओं के अनुसार,

- ग. प्रवर्तक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी समूह कंपनियों को।
- 3. विनियम 5(1) और 5(2) में निहित कोई भी बात निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगीः
 - अ. भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबी, आईआईओ और बीमा समूहों के संबंध में वापसी (रेट्रोसेशन) अथवा पुनर्बीमा स्थानन;
 - आ. प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करनेवाले भारतीय बीमाकर्ताओं की वर्तमान अंतर-कंपनी व्यवस्थाएँ;
 - इ. अधिनियम की धारा 101ए के अधीन समय-समय पर यथाअधिसूचित बाध्यकारी अध्यर्पण;
 - ई. जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले भारतीय बीमाकर्ताओं के पुनर्बीमा स्थानन। तथापि, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले भारतीय बीमाकर्ता सीबीआर को प्रस्ताव करने से पहले भारतीय देशी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयास करेंगे।
- 4. इसके अलावा, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई भी भारतीय बीमाकर्ता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपनी प्रवर्तक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा समूह कंपनियों के साथ, उन शर्तों पर व्यवस्था को छोड़कर जो वाणिज्यिक तौर पर स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंग्थ) के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक हों, पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ नहीं करेगा।

6) अध्यर्पण सीमाएँ:

1. जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाले अध्यर्पकों द्वारा सीबीआर के पास पुनर्बीमा स्थानन एक वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित समग्र अध्यर्पण सीमाओं के अधीन होंगे।

स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स अथवा समकक्ष के अनुसार सीबीआर की रेटिंग	प्रति सीबीआर अनुमत अधिकतम समग्र अध्यर्पण सीमाएँ
ए+ से अधिक	20%
बीबीबी+ से अधिक और ए+ तक और उसके सहित	15%
बीबीबी और बीबीबी+	10%

स्पष्टीकरणः उपर्युक्त प्रतिशतों का परिकलन भारत के बाहर अध्यर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम पर किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त सीमाओं से अधिक कोई स्थानन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता।

7) देशी बीमा समूह:

1. किसी भारतीय बीमाकर्ता द्वारा बीमा समूह के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के द्वारा किया जा सकता है।

- 2. प्राधिकरण देशी बीमा समूह (समूहों) के निर्माण के लिए अनुमित उसके/उनके उद्देश्यों, आधार, सहभागिता के लिए क्षमता, देयता की सीमाओं, शर्तों सिहत विभिन्न कारकों की जाँच करने के बाद दे सकता है। प्राधिकरण जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ अपनी ओर से भी भारतीय बीमाकर्ताओं को देशी बीमा समूहों में निर्माण और सहभागिता करने के लिए निर्देश दे सकता है।
- 3. बीमा समूहों का संविधान और प्रशासक का चयन प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार होंगे।
- 4. समूह का प्रशासक विवरणियाँ, पुनर्वीमा व्यवस्था का ब्योरा, समूह के कार्यनिष्पादन संबंधी विवरण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से और आवधिकता के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

8) वैकल्पिक जोखिम अंतरण (एआरटी):

- 1. एआरटी समाधान अपनाने का इच्छुक भारतीय बीमाकर्ता प्राधिकरण को ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- प्राधिकरण आवश्यक जाँच-पड़ताल करने के बाद और एआरटी के प्रकार से संतुष्ट होने पर मामला-दर-मामला आधार पर एआरटी प्रस्तावों की अनुमति दे सकता है।

9) आवक पुनर्बीमा व्यवसायः

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता (प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करनेवाला) आवक पुनर्बीमा व्यवसाय अंकित करने के लिएः

- 1. अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुपरिभाषित जोखिम-अंकन नीति स्थापित करेगा;
- 2. उपर्युक्त विनियम 3 में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अंदर पुनर्बीमा कार्यक्रम सिहत अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित अपनी आवक पुनर्बीमा जोखिम-अंकन नीति (बीमा खंड, भौगोलिक विस्तार, जोखिम-अंकन सीमाएँ, और कार्यनिष्पादन के उद्देश्य बताते हुए) प्राधिकरण के पास फाइल करेगा; तथा
- पूर्व में फाइल की गई आवक पुनर्बीमा जोखिम-अंकन नीति में जब भी कोई परिवर्तन होता है तब अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित उक्त परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास फाइल करेगा।

10) सूचना का प्रस्तुतीकरणः

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता अपने पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित सूचना और विवरणियाँ प्राधिकरण को ऐसे फार्म में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

11) निरसन और बचतः

- ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2016
 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2013 को निरस्त करते हैं।
- जब तक इन विनियमों द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि इन विनियमों में निहित कोई भी बात इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई व्यवस्थाओं को अमान्य ठहरायेगी।
- 3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 इन विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किये जाएँगे।

4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किये जाएँगे।

12) प्राधिकरण की शक्तिः

- 1. प्राधिकरण पुनर्बीमा से संबंधित सभी विषयों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण की माँग कर सकता है तथा भारतीय बीमाकर्ता को निर्देश दे सकता है कि वह प्राधिकरण के पास फाइल किये गये पुनर्बीमा कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करे।
- 2. प्राधिकरण निम्नलिखित सहित पुनर्बीमा के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी कर सकता है-
 - अ. संपार्श्विक, जोखिम प्रभार;
 - आ. समतुल्य अधिकार-क्षेत्रों की पहचान;
 - इ. सीबीआर के पास, सभी सीबीआर को एकसाथ लेते हुए उनके पास अध्यर्पण की सीमाओं का प्रतिशत
- 3. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है

पहली अनुसूची [विनियम 11(3) देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 का संशोधन

- क. इन विनियमों के विनियम 5 (1) और 5 (2) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 28(9) का अधिक्रमण और प्रतिस्थापन करते हैं।
- ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः
 - "4. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र आवेदक पुनर्बीमा व्यवसाय हेतु विनियम 3 के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।"
- ग. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्तांओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 15 के अंतर्गत शब्द "इन विनियमों के विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्बीमा श्रेणी के लिए" हटाये जाएँगे।
- घ. विनियम 28(8) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः "पुनर्बीमा:- विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालय को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अधीन होंगे।"

ङ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 का बिन्दु सं. 6 हटाया जाएगा।

दूसरी अनुसूची

[देखें विनियम 11 (4)]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 का संशोधन

- क. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के विनियम 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः
 - "8. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्रः आवेदक पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विनियम 7 के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें लॉयड्स इंडिया व्यवसाय संघ भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्युनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।"
- ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के विनियम 19 के अंतर्गत शब्द "इन विनियमों के विनियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्बीमा श्रेणी के लिए" तथा विनियम 44 के अंतर्गत शब्द "पुनर्बीमा व्यवसाय की उस श्रेणी के लिए" हटाये जाएँगे।
- ग. विनियम 50(7) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः
 "पुनर्बीमा : लॉयड्स इंडिया के समूह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम,
 2018 के अधीन होंगे।"
- घ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर1 का बिन्दु सं. 6 हटाया जाएगा।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./388/18]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th November, 2018

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018

F. No. IRDAI/Reg/4/151/2018.—In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations—

1) Short title, commencement and applicability:

- 1. These regulations shall be called the "Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018".
- 2. These regulations shall come into effect from 1st January, 2019.
- 3. These Regulations shall be applicable to Insurers as defined under Sec.2 (9) of the Act, International Financial Services Centre (IFSC) Insurance Office (IIO) and Exempted Insurers as defined under Sec.118(c) of the Act.

2) Definitions:

In these regulations, unless the context otherwise requires:

- 1. 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- 2. 'Alternative Risk Transfer', hereinafter called by acronym 'ART', (which is also called 'Financial Re-insurance' in life re-insurance business) means non-traditional structured Re-insurance solutions that are tailored to specific needs and profile of an insurer or re-insurer;
- 3. 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- 4. 'Board' for the purpose of these regulations means-
 - A. The Board of Directors of (a) the Indian Insurers other than IIOs writing direct insurance business, (b) Indian Re-insurers and (c) Service Companies of Lloyd's India;
 - B. The Executive Committee, of Foreign Reinsurers' Branches (FRBs) and International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs), duly authorized by the Board of Directors of their applicant companies;
 - C. The Head of the insurance division or department of exempted insurers;
- 5. 'Cedant' means an Indian Insurer who underwrites direct insurance business and contractually transfers (cedes) a portion of the risk;
- 6. 'Cession' means the part of risk passed to a Re-insurer by the cedant;
- 7. 'Cover Note' is a written document, detailing the terms and conditions of the Re-insurance contract, issued by an Indian Insurer writing re-insurance business or a CBR or a Re-insurance broker authorized by the Re-insurer;
- 8. 'Cross Border Re-insurer', hereinafter called by acronym 'CBR', means a foreign re-insurer including Lloyd's Syndicates, whose place of business is established outside India and which is supervised by its home country regulator. Cross Border Re-insurer includes:
 - A. Parent or Group companies of the FRBs;
 - B. Parent or Group companies of the IIOs;
- 9. 'Exempted Insurer' means a person or classes of persons carrying on insurance business under Sec. 118(c) of the Act;
- 10. "Facultative Reinsurance" means reinsurance for a single risk or a defined package of risks, where neither the cedant is obliged to submit these risks to the reinsurer nor the reinsurer is obliged to provide reinsurance protection;
- 11. 'Financial Year' means the period as defined under Section 2 (41) of the Companies Act, 2013;
- 12. 'Foreign Re-insurer's Branch', hereinafter called by acronym 'FRB', means a branch of a Foreign Company engaged in re-insurance business, who has been granted certificate of registration by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Re-insurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 or under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016;
- 13. "Fronting" means a process of transferring risk in which an Indian Insurer cedes or retro-cedes most of or all of the assumed risk to a Re-insurer or retrocessionaire;
- 14. 'Indian Insurer', for the purpose of these regulations, means an 'insurer' as defined under section 2(9) of the Act, which has been granted certificate of registration by the Authority, and shall also include Exempted Insurers and IIOs;
- 15. 'Insurance Pool' means a joint underwriting operation of insurance or re-insurance business, in which the participating Indian Insurers assume a predetermined share in all business written;
- 16. 'Insurance Segment', for the purpose of these regulations, means and includes the following-
 - A. Fire (Other than Oil & Energy);
 - B. Marine Hull;
 - C. Marine Cargo;
 - D. Engineering;
 - E. Aviation;
 - F. Motor;
 - G. Health (including Personal Accident & Travel), other than policies issued by insurers transacting Life Insurance business;
 - H. Crop;

- I. Trade Credit;
- J. Oil & Energy;
- K. Liability;
- L. Miscellaneous;
- M. Life (including health insurance policies issued by Life Insurers);
- N. Any other segment (under Miscellaneous segment) which contributes more than ten percent of the Gross Written Premium of the Miscellaneous segment;
- O. Any other segment as may be notified by the Authority from time to time;
- 17. 'International Financial Service Centre (IFSC) Insurance Office', hereinafter called by acronym 'IIO', means a branch office, of an insurer or a Re-insurer domiciled in India or outside, which has been granted a certificate of registration by the Authority to set up its office in IFSC-SEZ, to transact insurance business or re-insurance business or both;
- 18. 'Re-insurance Contract' is a commercial agreement and legally binding on all the parties evidenced by a Re-insurance Slip or Cover Note or such other document;
- 19. 'Re-insurance Slip' is a document, which provides the abridged details of the risk, terms and conditions offered for re-insurance;
- 20. 'Retention' means the portion of the risk, which an Indian Insurer assumes for its own account;
- 21. 'Retrocession' means a re-insurance transaction whereby a part of assumed reinsured risk is further ceded to another Indian Insurer or a CBR;
- 22. 'Treaty' means a reinsurance contract between a cedant and a reinsurer or between a reinsurer and a retrocessionaire, usually for one year, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of defined class(es) or segment(s) of business;
- 23. Words and expressions, used and not defined in these regulations but defined in the Act or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972) or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), rules or regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules or regulations.

3) Re-insurance Programme:

1. Objectives

The Re-insurance Programme of every Indian Insurer shall be guided by the following objectives to:

- A. Maximize retention within the country, subject to proper and adequate diversification of risks;
- B. Develop adequate technical capability and financial capacity;
- C. Secure the best possible Re-insurance coverage required to protect the interest of the policyholders and (retro)cedants at a reasonable cost;
- D. Simplify the administration of business.

2. Retention policy

- A. Every Indian Insurer shall
 - a. maintain the maximum possible retention in commensuration with its financial strength, quality of risks and volume of business;
 - b. formulate a suitable insurance segment-wise retention policy; bearing in mind the above stated objectives, duly approved by its Board;
 - c. ensure that the Re-insurance arrangement is not fronting.
- B. However, every Indian Insurer, transacting life insurance business, shall maintain a minimum retention of
 - a. 25% of sum at risk under pure protection life insurance business portfolio and
 - b. 50% of sum at risk under other than pure protection life insurance business portfolio.

Explanation: The portfolio of business existing prior to the date of effect of these regulations shall continue to be governed by the existing treaties.

C. Every Indian Re-insurer shall maintain a minimum retention of 50% of its Indian business.

D. The Authority may require an Indian Insurer to justify its retention policy and may give such directions, as considered necessary, to fulfill the objectives.

3. Re-insurance Arrangements

- A. Every Indian Insurer shall
 - a. commence its annual Re-insurance Programme from the beginning of every financial year;
 - b. submit to the Authority, its Board approved Re-insurance Programme along with its retention policy for the forthcoming financial year, 45 days before the commencement of the financial year;
 - c. file with the Authority, within 30 days of the commencement of the financial year:
 - i. its Board approved Final Re-insurance Programme incorporating the changes, if any, in the programme submitted under 3(3)(A)(b) above or a declaration by the CEO that the entity has not made any change in the filed Programme;
 - ii. re-insurer wise details of actual placements during previous financial year for each Insurance Segment;
 - d. file with the Authority any new or revision of Re-insurance arrangement (made after the final Re-insurance Programme under 3(3)(A)(c) above is submitted), giving full details with related documents, reasons for such an arrangement together with Board approved copy within 15 days of approval of the Board.
- B. The Board, while formulating the Re-insurance Programme and the retention policy, shall ensure that the Re-insurance arrangements are effective and appropriate by taking into consideration, inter-alia, the following factors:
 - a. Business mix, overall risk appetite, type and extent of Re-insurance protection required;
 - b. Level of risk concentration and retention levels;
 - c. Mechanism of reinsurance.
- C. The Re-insurance Programme of Indian Insurers shall include, but not limited to, the following:
 - a. Insurance Segment-wise parameters considered for fixation of retention limits;
 - b. Insurance Segment-wise statement of retention limits for the proposed financial year vis-a-vis retention limits in the current financial year and reasons for variations, if any;
 - c. Insurance Segment-wise statement of net retention ratio for the current financial year (estimated) and for the previous three financial years;
 - d. Insurance Segment wise statement of the actual Gross Written Premium Income for the previous financial year, for current financial year (estimated) and the projected Gross Written Premium income for the forthcoming financial year;
 - e. Structure of Re-insurance Programme with details of Proportional arrangements for each Insurance Segment (including treaty capacity, retention limits, estimated premium, re-insurance commission structure, event limits etc.) and Non-Proportional Arrangements for each insurance segment (including estimated gross net premium income, cover limits, deductible, excess of loss premium, reinstatement provisions etc.);
 - f. Insurance Segment-wise Statement of Re-insurance cost (in terms of quantum as well as percentage to Gross Written Premium) giving details of Gross Written Premium, premium ceded on proportional arrangements and premium ceded on non-proportional arrangements along with Statement showing projected costs for the forthcoming financial year and the actual costs for the previous three financial years including estimated cost for current financial year;
 - g. Details of Inward Re-insurance business, if any, separately for Domestic and Foreign business;
 - h. Details of Inter-Company Re-insurance arrangements, if any, with other Indian Insurers transacting direct insurance business.
- D. In addition to the requirements as at regulation 3(3)(C) above, every Indian Reinsurer, FRB and IIO writing reinsurance business, shall file the Board approved underwriting policy. Any subsequent change, in the underwriting policy, shall be duly approved by the Board and filed with the Authority within 15 days of Board's approval.

4. Catastrophic Risk Protection

Every Indian Insurer shall:

- A. ensure that its Re-insurance arrangements in respect of catastrophe accumulations are adequate;
- B. have the catastrophe modeling report and the basis along with return period estimates, on which the quantum of catastrophe protection is purchased for each of the perils for the forthcoming financial year duly approved by its Board;
- C. file a synopsis of the report along-with the Re-insurance Programme.

5. Maintenance of Records

Every Indian insurer shall submit soft copies of each and every re-insurance contract, list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re-insurance arrangement. The hard copies of the above documents shall be maintained for the period specified in the relevant extant regulations and shall be made available to the Authority for inspection.

4) Cross Border Re-insurer (CBR):

- No Indian Insurer shall place its Re-insurance business with any CBR, unless it satisfies the following eligibility criteria: -
 - A. The CBR is an insurance or Re-insurance entity in its home country, duly authorized by its home country regulator to transact re-insurance business during the immediate past three continuous years;
 - B. The CBR has a credit rating of at least BBB from Standard & Poor or equivalent rating from an international rating agency during the immediate past three continuous years;
 - C. The home country of the CBR has signed Double Taxation Avoidance Agreement with India;
 - D. The CBR has minimum solvency margin or capital adequacy, as specified by the home country regulator, during the immediate past three continuous years;
 - E. The past claims settlement experience of the CBR is found to be satisfactory;
 - F. Any other requirements as stipulated by the Authority from time to time.
- 2. Reinsurance placements with a CBR, not fulfilling the above stated eligibility criteria shall require prior approval of the Authority.
- The Authority may stipulate norms for relaxations of these criteria and limits of cessions to a CBR under Regulation 6 along with operational procedures for filing CBR information, through guidelines issued from time to time.

5) Procedures for Re-insurance placements:

1. Obtaining best terms for Cessions:

Every cedant, shall be free to obtain best terms for its Re-insurance protection of domestic risks, subject to the following:

- A. Cedants shall seek terms at least from all Indian Re-insurers, who have been transacting Re-insurance business (other than emanating from obligatory cession) during the immediate past three continuous years and at least from four FRBs.
- B. No cedant shall seek terms from:
 - a. IIOs having credit rating below A- from Standard & Poor's or equivalent rating from any other International Rating Agency, or
 - b. CBRs having credit rating below A- from Standard & Poor's or equivalent rating from any other International Rating Agency.
- C. No cedant shall seek terms from any Indian Insurer, not registered with the Authority to transact reinsurance business.
- D. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the terms are obtained directly or through Re-insurance Broker.

2. Offer for Participation:

- A. Every cedant shall offer best terms obtained, for participation in the following order of preference:
 - a. to Indian Re-insurers, transacting re-insurance business (other than emanating from obligatory cession) during the immediate past three continuous financial years;
 - b. to other Indian Re-insurers and FRBs;
 - to the IIO as under regulation 5(1)(B)(a) which provided the best and lead terms with capacity of not less than 10%;
 - d. to the CBR as under regulation 5(1)(B)(b) which provided the best and lead terms with capacity of not less than 10%:
 - e. to other IIOs;
 - f. to other Indian Insurers (only Facultative) and CBRs.

Explanation: Except for facultative reinsurance protection, no cedant shall offer for participation to any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact reinsurance business. Further such Indian Insurer shall not be offered to lead on any reinsurance protection.

- B. Subject to compliance of regulation 5(2)(A) above, no cedant, except through the FRBs, shall make an offer for participation to the CBRs, which are applicant companies of the FRBs, unless:
 - a. The total sum-insured is rupees two thousand five hundred crore or more for property insurance, material damage and business interruption combined at one location; or
 - b. The total sum-insured is rupees one hundred crore or more for liability cover, per event; or
 - c. The offer for participation is for Aviation, Oil & up-stream energy, Marine Hull risk; or
 - d. Prior approval of the Authority is obtained for exceptions to the above.
- C. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the offer for participation is made
 - a. directly or through Re-insurance Brokers,
 - b. to the facilities of Re-insurance capacity arranged by Re-insurance Brokers,
 - c. to the promoter company or its associate group companies.
- 3. Nothing in Regulations 5(1) and 5(2) shall apply to the following:
 - A. Retrocession or reinsurance placements of Indian Re-insurers, FRBs, IIOs and Insurance Pools;
 - B. Existing inter-company arrangements of the Indian Insurers transacting direct insurance business;
 - C. Obligatory cessions as notified from time to time under Section 101A of the Act;
 - D. Re-insurance placements of Indian insurers transacting life insurance business. However, Indian insurers, transacting life insurance business, shall endeavor to utilize the Indian domestic capacity before offering to the CBRs.
- 4. Further that no Indian insurer transacting life insurance business shall, without the prior approval of the Authority, have re-insurance arrangements with its promoter company or its associate or group companies except on terms which are commercially competitive, on an arm's length basis.

6) Cession limits:

1. Re-insurance placements with CBRs by the cedants transacting other than life insurance business shall be subject to the following overall cession limits during a financial year.

Rating of the CBR as per Standard & Poor or equivalent	Maximum overall cession limits allowed per CBR
Greater than A+	20%
Greater than BBB+ and up to and including A+	15%
BBB & BBB+	10%

Explanation: The above percentages are to be calculated on the total reinsurance premium ceded out-side India.

2. No placement exceeding the aforesaid limits shall be made unless prior approval of the Authority is obtained.

7) Domestic Insurance Pools:

- 1. The proposal for an Insurance Pool, could be initiated by any Indian Insurer by submitting a proposal to the Authority.
- 2. The Authority, after examining various factors including its objectives, basis, capacity for participation, limits of liability, terms and conditions, may permit formation of domestic Insurance Pool(s). The Authority, wherever necessary, may also suo-moto direct Indian Insurers to create and participate in domestic Insurance Pools.
- 3. Constitution of the Insurance Pools and selection of Administrator shall be as per the direction of the Authority.
- 4. The Pool Administrator shall submit the returns, details of Re-insurance arrangement, statements on the performance of the pool, in the manner and periodicity as stipulated by the Authority from time to time.

8) Alternative Risk Transfer (ART):

- 1. An Indian Insurer, intending to adopt ART solutions, shall submit such proposals to the Authority.
- 2. The Authority, after necessary examination and on being satisfied with the type of ART solution may allow the ART proposal on a case to case basis.

9) Inward Re-insurance Business:

Every Indian Insurer (transacting direct insurance business) for writing inward Re-insurance business shall:

- 1. put in place a well-defined underwriting policy duly approved by its Board;
- 2. file with the Authority, its inward re-insurance underwriting policy (stating the insurance segments, geographical scope, underwriting limits, and performance objectives) duly approved by its Board along with the Re-insurance Programme within the time lines specified in Regulation 3 above; and
- 3. file with the Authority any change to the inward re-insurance underwriting policy filed earlier as and when a change is made duly approved by its Board within 15 days of Board approval.

10) Submission of Information:

Every Indian Insurer shall submit to the Authority, information and returns relating to its Re-insurance transactions, in such form and manner as the Authority may stipulate from time to time.

11) Repeal and Savings:

- These Regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority of India (General Insurance -Reinsurance) Regulations, 2016 and Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance -Reinsurance) Regulations, 2013.
- 2. Unless otherwise provided by these regulations, nothing in these regulations shall deem to invalidate arrangements entered prior to these regulations coming into force.
- 3. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015, shall be amended in the manner specified in The First Schedule of these regulations.
- 4. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 shall be amended in the manner specified in The Second Schedule of these regulations.

12) Power of the Authority:

- 1. The Authority may call for further information or explanation, as may be necessary, on all matters related to Reinsurance and may direct the Indian insurer to carry out necessary changes in the Re-insurance Programme filed with the Authority.
- 2. The Authority may issue guidelines stipulating such terms and conditions for Re-insurance placements including-
 - A. Collateral, risk charges;
 - B. recognition of equivalent jurisdictions;
 - C. percentage of cession limits with a CBR, all CBRs taken together.

3. In order to remove doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

FIRST SCHEDULE

[See Regulation 11 (3)]

AMENDMENT TO THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION AND OPERATIONS OF BRANCH OFFICES OF FOREIGN REINSURERS OTHER THAN LLOYD'S) REGULATIONS, 2015.

- a. Regulations 5 (1) and 5 (2) of these Regulations supersede and replace Regulation 28(9) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.
- Regulation 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 shall be substituted by the following:
 "4. Requisition for Registration application: An applicant shall make a requisition for registration application under Regulation 3 for Re-insurance business wherein the branch office of foreign Re-insurer shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian Re-insurance business."
- c. The words "for reinsurance category as specified in Regulation 4 of these Regulations" under Regulation 15 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 shall be deleted.
- d. Regulation 28(8) shall be substituted by the following:
 "Reinsurance: the Branch Office of Foreign Reinsurers shall be subjected to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018."
- e. Point no- 6 of FORM IRDAI/Reins/R1, of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 shall be deleted.

SECOND SCHEDULE

[See Regulation 11 (4)]

AMENDMENT TO THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (LLOYD'S INDIA) REGULATIONS, 2016.

- a. Regulation 8 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 shall be substituted by the following:
 - "8. Requisition for Registration application: An applicant shall make a requisition for registration application under Regulation 7 for Re-insurance business wherein the Lloyd's India Syndicate shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian Re-insurance business."
- b. The words "for Reinsurance category as specified in regulation 8 of these regulations" under regulation 19 and the words "for the category of Reinsurance business" under regulation 44 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 shall be deleted.
- Regulation 50(7) shall be substituted by the following:
 "Reinsurance: The syndicates of Lloyd's India shall be subjected to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018."
- d. Point No. 6 of FORM IRDAI/LLOYD'S/R1, of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 shall be deleted.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./388/18]